न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 45/2019

GCMS NO. : 2019/00083

–: प्रार्थीगण :–

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहन लाल जाति– जैन, निवासी– जैतारण, जिला– पाली (राज०)

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. नीतीसहन पुत्र घेवरराम जाति– सरगरा निवासी– निम्बोल।
2. श्यामलाल पुत्र जाति– मेघवाल निवास– मालपुरिया
3. सूरलमल पुत्र भीकाराम जाति– ढोली निवासी– मालपुरिया
4. सुवाराम पुत्र नैना
5. सुगनाराम पुत्र नैना
6. बुद्धाराम पुत्र नैना
7. छैलाराम पुत्र गुलाब
8. समुड़ी पुत्री गुलाब
9. पिस्ता पुत्री गुलाब
10. सुन्दरी पत्नी गुलाब
11. अणदाई पुत्री हरीराम
12. कमला पुत्री हरीराम
13. गोदावरी पुत्री हरीराम
14. पुसा देवी पुत्री हरीराम
15. बस्ताराम पुत्र रामसुख
16. सहदेवी पुत्री रामसुख
17. तोलकी पुत्री रामसुख
18. करमा पुत्र रामसुख
19. डालसी पुत्री रामसुख
20. हड़मान पुत्र भाना
21. जगदीश पुत्र भाना
    जातियान बावरी निवासीगण– पातुस तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
22. जगदीश पुत्र चौथाराम मेघवाल निवासी लिलिया तहसील– रियांबड़ी
23. मंगली पत्नी पांचा
24. बाबूलाल पुत्र पांचा
25. सीता पुत्री पांचा
26. ग्यारसी पुत्री पांचा
27. जिमना पुत्री पांचा
28. इन्द्रा पुत्री पांचा
29. गंगा पुत्री पांचा
30. हणूत पुत्री धन्ना
31. रणछोड़ पुत्र धन्ना
32. जसाकी बेवा पुत्री धन्ना
33. छैलाराम पुत्र चुतराराम
34. छोटाराम पुत्र चुतराराम
35. कलाराम पुत्र चुतराराम
36. गौतम पुत्र चुतराराम
37. सुनिल पुत्र चुतराराम
38. पिस्ता पुत्री चुतराराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:45:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

39.विमला पुत्री चुतराराम
40.रागुड़ी पत्नी चुतराराम
41.बिदामी पत्नी चुतराराम
42.सोहनलाल पुत्र शंकरलाल
43.केरा पुत्र रावल
जातियान– बावरी निवासीगण– पातुस, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
44. पटवारी पटवार हल्का जैतारण जिला –पाली।
45. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व **प्रार्थना पत्र बाबत्** रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत **धारा** 251(ए) **राजस्थान** काश्तकारी **अधिनियम,** 1955

तारीख रजू:.15/03/2019

उपस्थित:–

1. श्री राजूनाथ, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 01/12/2020**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा ग्राम चक पातुस पटवार हल्का जैतारण भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण में प्रार्थी व उसके परिवारजनों की संयुक्त शामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि जमीन स्थित है, जिसके खसरा नम्बर 07 रकबा 17 बिस्वा गै0मु0 बेरा व खसरा नम्बर 08 रकबा 192 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल आयी हुई है। जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों की संयुक्त शामलाती जमीन होने से उपयोग उपभोग किमया जा रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्श ट्रेस की प्रमाणित प्रति व नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। मौजा ग्राम चक पातुस पटवार हल्का जैतारण में खसरा नम्बर 01 रकबा 116 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 05 रकबा 01 बिस्वा गैरमुमकिन बैरा, खसरा नम्बर 06 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा बारानी दोयम आप्रार्थीगण संख्या 01 से 43 की संयुक्त शामलाती खातेदारी की जमीन आई हुई है। नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। प्रार्थी व उसके परिवारजनों की कृषि जमीन खसरा नम्बर 07 रकबा 17 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन बैरा व खसरा नम्बर 08 रकबा 192 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल क्षेत्रफल 193 बीघा 09 बिस्वा [illegible] के अलग दर्शित है तथा अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 01 रकबा [illegible] 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम खसरा नम्बर 05 रकबा 0 01 बिस्वा [illegible] बेरा खसरा नम्बर 06 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 01 से 43 से संयुक्त शामलाती खातेदारी की स्थित है। इ[illegible] नक्शा की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। प्रार्थी व उसके परिवारजनों की शामलाती की जमीन खसरा नम्बर 07 रकबा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 08 रकबा 192 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 193 बीघा 09 बिस्वा है जो अप्रार्थीगण संख्या 01 से 43 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 16:45:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

संयुक्त शामलाती खातेदारी खसरा नम्बर 01 रकबा 116 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 05 रकबा 0.01 बिस्वा व खसरा नम्बर 06 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा कुल खसरा 03 रकबा 139.06 बिस्वा के दक्षिणी तरफ स्थित है। प्रार्थी व उसके परिवारजनों अपने खातेदारी की भूमि में आने व जाने, मवेशी व कृषि कार्य हेतु साधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नं. 01 व 05, 06 मे से संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी, सी रास्ता का उपयोग व उपभोग कदीम करते आ रहे है तथा इसी रास्ते से अपना आवागमन करते आ रहे है तथा प्रार्थी व उसके परिवारजन कदीम से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है। खसरा नं. 06 में संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी (लाल स्याही) रास्ता का उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थी व उसके परिवारजन नजरी नक्शा में बताये अनुसार अपनी खातेदारी की भूमि में आते जाते रहे है तथा इस खसरा नं. 07 व 08 की जमीन को काश्त करने के लिए आने जाने हल, बैल, मवेशी, मजदूर लाने व ले जाने व टेक्टर ट्रोली लाने व ले जाने के लिये रास्ता नजरी नक्शा में बताये अनुसार आया हुआ है। इस रास्ता का उपयोग उपभोग प्रार्थी व उसके परिवाजन करते आ रहे है। परन्तु कुछ समय अप्रार्थीगण नजरी नक्शा में बताये रास्ते से आने जाने में आनाकानी करने लगे व रास्ता बन्द करने के लिए आमादा है तथा अप्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शा में बताये मार्क ए से बी रास्ता में आने में आनाकानी की व रास्ता बन्द करने का एलानिया धमकी दी थी, तब प्रार्थी ने अपने खातेदारी व अप्रार्थीगण की खातेदारी जमाबन्दीयां व नक्शा ट्रेस की नकल दिनांक 20.02.2019 को प्राप्त की तब उसे पता चला की उसके संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में आने जाने के लिये रास्ता नही है तथा रास्ता नक्शा में भी तरमीम नही है, तब प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। यह है कि संलग्न नजरी नक्शा मे बताया रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने का सबसे नजदीक व सुलब एक मात्र रास्ता आया हुआ है। इस रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के लिए आने जाने का एकमात्र रास्ता नजरी नक्शा में दर्शाय अनुसार ही है परन्तु अप्रार्थीगण की नियत में अब फर्क आ गया है। अप्रार्थीगण अब इस रास्ता को बन्द करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को आने जाने में रोला टंटा उत्पन्न करने लगे। तब प्रार्थी ने इन खसरान की नक्शा की नकल ली, तब प्रार्थीगण को पता चला कि इस विवादित रास्ता का राजस्व नक्शा में इन्द्राज नही है तथा रास्ता नक्शा में तरमीम भी नही है। इसी बदनियति से अप्रार्थीगण ने इस रास्ता को बन्[illegible] है। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने को कोई हक व कानूनी अधि[illegible] है। यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता का राज[illegible] का कहा, मगर अप्रार्थीगण ने इन्कार कर दिया [illegible] कानून उक्त रास्ता का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु अप्रार्थीगण [illegible] इसकी राशि अदा करने को तैयार है। उक्त रास्ता के सम्बन्ध में राशि अप्रार्थीगण को दिलवाई जाकर नजरी नक्शा में दर्शाया रास्ता ए से बी 15 फुट चौड़ा किया जाकर रेकर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:45:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

में इन्द्राज करवाया जावे। प्रार्थी उक्त राशि अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा जैतारण की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 7 रकबा 17 बिस्वा गै.मु, बेरा व खसरा नम्बर 8 रकबा 192 बीघा 12 बिस्वा बारानी अव्वल है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 43 की खोतदारी की संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही रंग से दर्शाया गये मार्क ए से बी 15 फुट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रेकर्ड व नक्शा में इन्द्राज करवाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया जो सामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित तथ्यों का जबाब इस प्रकार है कि खसरान् भूमि का किसी प्रकार से सीमाज्ञान नही हो रखा है न ही मौके पर किसी प्रकार का उपयोग उपभोग एवं कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का जबाब इस प्रकार है कि पद संख्या 2 मे वर्णित खसरान भूमि संयुक्त सामलाती दर्ज है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही हो रखा है तथा न ही सीमाज्ञान हो रखा है अधिकांश खातेदारो के कृषि भूमि को बेच भी दिया है जिसका नामान्तरण भी होना शेष है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या तीन का जबाब इस प्रकार है कि इस पद मे वर्णित तथ्य सीमाज्ञान एवं बंटवाडा के अभाव मे मांठे कायम नही की जा सकती है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या चार का जवाब इस प्रकार है कि सभी तथ्य मनगढन्त एवं प्रार्थनापत्र की गरज से लिखे होने से अस्वीकार किये जाते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 का जबाब इस प्रकार है किसी प्रकार से प्रार्थी काश्त नही करते है न ही मवेशी रखता है तथा मार्क ए से बी रास्ता भी गलत दर्शाया है मौके पर कायम नही है न ही कायम रहा है। शेष कथन झूठे एवं असत्य होने से अस्वीकार किये जाते है अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त की कृषि भूमि में से किसी प्रकार से कोई रास्ता न तो पूर्व मे कदीमी था न ही वर्तमान में है इसलिए रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज फरमावे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 का जवाब इस प्रकार है कि इस पद मे वर्णित तथ्य गलत एवं झूठे लिखे होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 7 का जवाब इस प्रकार है कि इस पद में वर्णित तथ्य प्रार्थनात्र करने की गरज से लिखे होने से अस्वीकार किये जाते है इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज फरमावे। अतः जबाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि सम्पूर्ण तथ्य प्रार्थनापत्र करने की गरज से होने से किसी प्रकार से कोई रास्ता का … नही होने से मौके की रिपोर्ट मंगवायी जावे साथ ही [illegible] फरमावे। तहसीलदार जैतारण द्वारा फर्द मौका एवं जांच रिपोर्ट पेश कि गई जो सामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। बहस समायत कि गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 16:45:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नवशा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया।

प्रार्थी राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अर्न्तगत ग्राम चक पातुस पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण की संयुक्त सामलाती खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 07 रकबा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बैरा, एवं खसरा नम्बर 08 रकबा 192 बीघा किस्म बारानी अव्वल के लिये पहुंच मार्ग हेतु रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थनपत्र के साथ प्रस्तुत भू अभिलेख दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के द्वारा जिन खसरा नम्बर 07 व 08 के लिये रास्ते की मांग की जा रही है। वह संयुक्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि है जिसमें सहखातेदारान् के मध्य कानूनन बंट्वाड़ा नहीं हो रखा है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि उक्त खसरान् की भूमि में प्रार्थी राजेन्द्र कुमार का हिस्सा जिसके लिये रास्ते की मांग की जा रही है वह कहां अवस्थित है। उक्त खसरान् की भूमि में 20 सह खातेदारान् है लेकिन प्रार्थी के रूप में केवल एक सहखातेदार राजेन्द्र कुमार द्वारा ही रास्ते की मांग की गई है। ऐसी दशा में हस्तगत प्रार्थनापत्र स्वीकार करना विधि संगत एवं उचित नहीं होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 01/12/2019 को सर–ए–एजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:45:00 IST
Reason: SelfAttested